कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल जबलपुर-482001
फोन : 91.761.2624195 (कार्या.), Email: dfotjbp@mp.gov.in

क्र0 / डी0एम0 / 1361 जबलपुर दिनांक 10/6/20

प्रति,

महाप्रबंधक,
म0प्र0 जल निगम मर्यादित,
होटल सत्या के सामने, प्रेमनगर जबलपुर

विषय :- जबलपुर जिले में पायली ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत आर.ओ.डब्ल्यू. में पाईन लाईन बिछाने हेतु 4.9063 हे0 वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित जबलपुर को उपयोग पर देने बाबत्। (FP/MP/WATER/45654/2020)

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष–भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक /एफ–5/2020/10–11/1713 दिनांक 04/06/2020.

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि वन परिक्षेत्र बरगी के अन्तर्गत वन क्षेत्र में मार्गों के किनारे भूमिगत ट्रेंच खोदकर पाईप लाईन बिछाई जानी है। जिसमें निम्नानुसार वनभूमि प्रभावित होगी :–

अनु. क्र.	मार्ग का नाम	कक्ष कमांक	वन भूमि (हे0 में)	लम्बाई (मी0 में)	चौड़ाई (मी0 में)	मार्ग का प्रकार
1	बरेली पठार से छपरा (वनग्राम)	RF 197	0.1000	1000	1	सीमेन्ट कॉन्क्रीट
2	बरेली पठार वनग्राम	RF 197	0.0300	300	1	सीमेन्ट कॉन्क्रीट
3	बरेली पठार वनग्राम	RF 197	0.0150	150	1	सीमेन्ट कॉन्क्रीट
4	जबलपुर, सिवनी से छपरा	O-538	0.0183	183	1	वनमार्ग कच्चा
5	छपरा से हुल्की	PF 203	0.2100	2100	1	डामर रोड
6	सुकरी	O-526	0.0100	100	1	वनमार्ग पक्का
7	सालीवाड़ा से देवद्वार	PF 194	0.0874	874	1	डामर रोड
8	लुहारी टोला से नारंगी मार्ग	PF 222	0.0290	290	1	वनमार्ग कच्चा
9	देवरी से बासन पानी	RF 215	0.0570	570	1	वनमार्ग कच्चा
10	कालदेही राजमार्ग	O-527	0.0490	490	1	डामर रोड
11	राजमार्ग से बबेहा	RF 200	0.1038	1038	1	वनमार्ग कच्चा
12	बबेहा से हुल्की	O-527	0.0590	590	1	वनमार्ग पक्का
13	सिवनी बायपास से बरगी नगर	RF 218, 220	0.2250	2250	1	डामर रोड
14	बरगी नगर से मोठार	RF 219	0.1200	1200	1	कच्चा मार्ग
15	बरगी नगर से बरगी	RF 227, PF 226	0.2125	2125	1	डामर रोड
16	चौरई से नयागॉव	PF 226	0.0360	360	1	डामर रोड
17	चौरई से रीवा सिलुआ	PF 225	0.1200	1200	1	डामर रोड
18	बम्हनी से समनापुर	PF 222	0.3125	3125	1	डामर रोड
19	समनापुर से गढ़गोरखपुर	O-549, RF 217, 220	0.4625	4625	1	कच्चा मार्ग
20	बम्हनी से बासन पानी	PF 222	0.1625	1625	1	कच्चा मार्ग
21	बीझा तिराहा से बीझा ग्राम	RF 220	0.1125	1125	1	डामर रोड

22	बींझा तिराहा से खामखेड़ा	RF 220, 228	0.2500	2500	1	कच्चा मार्ग
23	बम्हनी से सिलुआ	O-552	0.0375	375	1	डामर रोड
24	मगरधा तिराहा से मगरधा ग्राम एवं नई बस्ती	RF 218	0.3000	3000	1	डामर रोड
55	राजमार्ग से सालीवाड़ा	RF 191	0.0415	415	1	डामर रोड
56	सालीवाड़ा से लोढ़ी	O-510	0.1549	1549	1	डामर रोड
57	तिन्सी से तिन्सा	O-490	0.2135	2135	1	डामर रोड
58	तिन्सा से रेंगाझोरी	O-489	0.2144	2144	1	डामर रोड
59	परासिया से चिरापोंड़ी	O-486	0.0389	389	1	डामर रोड
60	मरहापाठा से घाट पिपरिया	O-480	0.0426	426	1	कच्चा मार्ग
61	मरहापाठा से सिहोरा	O-482	0.0250	205	1	डामर रोड
62	मरहापाठा से बरगी	RF 182	0.2880	2880	1	डामर रोड
63	ढोड़ा से कोहानी	O-477	0.0800	800	1	कच्चा मार्ग
64	कोहानी से मरहापाठा	O-479	0.0090	90	1	डामर रोड
65	हर्रई से चरगवॉ	RF 174	0.0144	144	1	कच्चा मार्ग
66	चरगवॉ से तिखारी	O-455	0.0570	570	1	डामर रोड
67	चरगवॉ से ऐंठाखेड़ा	O-451	0.0785	785	1	डामर रोड
68	ऐंठाखेड़ा से सिवनी टोला	O-444	0.0450	450	1	डामर रोड
69	तिराहा से रामपुर नकटिया	O-444	0.0056	56	1	डामर रोड
70	खसरा नंम्बर 188, 191 नान्हाखेड़ा	O-443	0.0235	235	1	कच्चा मार्ग
71	तिलवारा से मानेगॉव	RF 171	0.1300	1300	1	डामर रोड
72	राजमार्ग से मोहास	RF 170	0.0700	700	1	डामर रोड
73	मोहास से समद पिपरिया	RF 169	0.1500	1500	1	डामर रोड
74	खुर्सी से धाधरा	RF 175	0.0900	900	1	डामर रोड
75	धाधरा से मानेगॉव	O-464	0.0150	150	1	डामर रोड
		कुल योग :–	**4.9063**			

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदक संस्था को मुख्य वन संरक्षक भू–सर्वेक्षण के पत्र कमांक 1839 दिनांक 12.03.2004 एवं पत्र क्र./एफ–5/विविध/2017/10–11/3283 दिनांक 31.05.2017, अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र कमांक/एफ–5/विविध/2018/10–11/3183 दिनांक 12.10.2018 के द्वारा जारी निर्देश के अन्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार शर्त के अन्तर्गत **सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है** :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा WP (C) 202/95 में आई.ए. कमांक 566 में पारित आदेश दिनांक 30/06/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 एवं 09/05/2008 के अनुपालन में भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पत्र कमांक/5–1/1998–एफ.सी. (Pt. II) दिनांक 18/09/2003 एवं पत्र कमांक 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03/10/2006 तथा पत्र कमांक 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05/02/2009 के अनुसार स्वीकृत की जा रही 4.9063 हेक्टेयर वन भूमि हेतु नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की राशि रूपये 30,71,344/– मात्र आवेदक संस्थान द्वारा ऑन लाईन जमा कराई जानी होगी।
3. नेट प्रेजेन्ट वैल्यू के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली से एक्पर्ट कमेटी को यदि कोई प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो तदानुसार नेट प्रेजेन्ट वैल्यू की अतिरिक्त राशि राज्य शासन द्वारा आवेदक संस्थान से ली जावेगी। आवेदक संस्थान तदाशय का वचन पत्र देवें।
4. वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के तहत की जावेगी। राईट ऑफ वे का तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।

5. वन भूमि पर पाईप लाईन बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खन्ती का आकार 2 मीटर गहरा एवं स्वीकृत चौड़ाई (1मी0) से अधिक नहीं होगी।
6. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
7. रखरखाव की अनुमति वन मण्डलाधिकारी से प्राप्त की जावेगी।
8. समतलीकरण का कार्य आवेदक /आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गयी खंती से निकाली गयी मिट्टी से किया जायेगा।
9. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी /पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जायेगा।
10. किसी भी वृक्ष की कटाई नहीं की जावेगी। खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुँचाई जायेगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जायेगा।
11. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है तो वन मण्डल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक / आवेदक संस्थान से देय होगी।
12. आवेदक/ आवेदक संस्थान **लिखित वचन पत्र** देवें कि यदि भविष्य में भारत सरकार, राज्य शासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0, क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त/राशि निर्धारित की जाती हैं तो वे सभी शर्ते उन्हें मान्य होगी एवं राशि यथा स्थिति तत्काल देय होगी।
13. पाईप लाईन बिछाने के प्रकरणों में राजस्व वन या छोटे बड़े झाड़ का वन या वन जैसा कि सिविल याचिका कमांक/202/95 में सर्वोचच न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.1996 के निर्णय के पालन में राजस्व विभाग के परिपत्र क./16-10 -सात/2-ए/90 दिनांक 13.01.1997 में परिभाषित है, के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदक/आवेदक संस्थान द्वारा अपने प्रस्ताव में सम्मिलित कर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह स्वीकृति केवल वन भूमि के लिए जारी की जा रही है जो कि वन विभाग के अधिपत्य में है। यदि आवेदक /आवेदक संस्थान के द्वारा राजस्व विभाग के अधीन वन क्षेत्र (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) में खुदाई की जाती है, तो राजस्व विभाग द्वारा उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वन विभाग को सूचित किया जाये, ताकि वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत् कार्यवाही की जा सके।
14. सूर्यास्त के पश्चात् कोई कार्य नही किया जायेगा।
15. वन भूमि पर कोई श्रमिक पड़ाव नहीं लगाया जावेगा।
16. कार्य की स्वीकृति/प्राक्कलन, कार्य संपादन कराने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के नाम, पदनाम व पूर्ण पते भी परिक्षेत्र कार्यालय में सूचित किये जावेंगे।
17. कार्य आरंभ करने के पूर्व संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी बरगी को सूचना दी जावे।

उपरोक्त शर्तों के पालन हेतु, मांग की राशि जमा करने संबंध प्रमाणक एवं पालन प्रतिवेदन आवश्यक वचन पत्रों सहित प्रस्तुत किये जावे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(रवीन्द्र मणि त्रिपाठी)
वन मंडल जबलपुर
सामान्य वनमण्डल जबलपुर

क्रमांक/डी.एम./ 1362 जबलपुर, दिनांक 10/6/20

प्रतिलिपि :- 1- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष-भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. /एफ-5/विविध/ 2018/10-11/3183 दिनांक 12.10.2018 एवं पत्र कमांक/एफ-5/2020/10-11/1713 दिनांक 04/06/2020 के अनुक्रम में सूचनार्थ सम्प्रेषित्।

2- मुख्य वनसंरक्षक, मध्य वृत्त जबलपुर की ओर उनके पत्र कमांक 3004 दिनांक 08/06/2020 के अनुकम में सूचनार्थ सम्प्रेषित्।

3- कलेक्टर, जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।

4- उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।

5- वन परिक्षेत्र अधिकारी, बरगी की ओर सूचनार्थ।

(रवीन्द्र मणि त्रिपाठी)
वन मंडल जबलपुर
सामान्य वनमण्डल जबलपुर